मवेशियों को छोड़ा तो दर्ज होगी रिपोर्ट

जागरण प्रश्न पहर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में गुरुवार को महापौर अभिलाषा गुप्ता मौजूद थीं। लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। सबसे ज्यादा शिकायतें सेक्टर, मवेशियों, सड़कों, नालियों और नालियों के क्षतिग्रस्त होने, सीवर लाइन न बिछने अथवा सफाई न होने, जलभराव और अतिक्रमण से संबंधित रहीं। महापौर ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन देते हुए सड़कों की पैचिंग और गलियों का निर्माण बरसात के बाद शुरू कराने के लिए कहा। सीवर लाइन के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर सीवर लाइन भी बिछेगी। बेसहारा मवेशियों को छोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती करने के लिए कहा। ऐसे लोगों के खिलाफ चालान की कार्यवाही के साथ ही रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। पेश हैं सवाल-जवाब के अंश

अभिलाषा गुप्ता नंदी।

इन लोगों ने भी पूछे सवाल

जय प्रकाश व भारत चंद्र झूंसी, मनोज त्रिपाठी टैगोर टाउन, पार्षद कमलेश सिंह अलोपीबाग, अतुल पटेल व दीपक यादव राजापुर, रामचंद्र टीबी ठाकुर अशोक नगर, सजल कटरा, नमित द्विवेदी त्रिवकुटी, राजेश, चकमाल, जगत मोहन नैनी, रामचंद्र मिश्र खोखमल, सविता गंगा विहार, प्रभाकर भावापुर, सत्य श्रीवास्तव आवास विकास कालोनी झूंसी, मीरा मिश्रा, म्योराबाद, दुर्गावती तिवारी, यमुनानगर व उमाकांत पांडेय देवघाट, नैनी, शालीन अहमद, पंकज मानसरोवर, अमित मिश्रा धर्मलेन।

- सुहागरी के कलाकारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना जल्द लागू होने की उम्मीद।
- गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के कामों की शिकायत डीएम और कमिश्नर से होगी।
- सिक्स लेन पुल के निर्माण की जद में आने वाले म्योराबाद नाले के संबंध में जल्द निर्णय।
- नौशी पार्क में भूमिगत पार्किंग के लिए भी होगी पहल।
- नाले-नालियों से हटेगा अतिक्रमण। इससे शहर में जलभराव की समस्या गंभीर।

सवाल: अलरसूलपुर में पावर हाउस के समीप करीब साढ़े चार साल से नाली क्षतिग्रस्त है। स्थानीय जनप्रतिनिधि से शिकायत करने पर नाली नहीं बनी। इससे बहुत दिक्कत है।

-राम मनोरथ सिंह राठौर अलरसूलपुर, अनिल कुमार त्रिपाठी, गंगा विहार कछार टीपी नगर

जवाब: लिखित में आवेदन दीजिए। समस्या का निराकरण करवाते हैं। गंगा विहार क्षेत्र की बहुत सी सड़कें बनने वाली हैं। इसे भी शामिल कराया जाएगा।

सवाल: कुछ क्षेत्रों में नई सीवर लाइन नहीं पड़ी है लेकिन, सीवर टैक्स वसूला जाता है। पुरानी सीवर लाइन की सफाई न होने से चोक रहती है। सड़क कालोनी में सीवर और नाली की समस्या है।

-भानु गौतम राजरूपपुर, अखिल कुमार श्रीवास्तव आरटीओ, अजय मिश्रा बाघम्बरी

जवाब: नई सीवर लाइन के बारे में लिखवाते हैं। पुरानी सीवर लाइन की सफाई कराने के लिए टीम भेजी जाएगी। सड़क नया सीमा विस्तार का क्षेत्र है। रोड, नाली का काम पास हो गया है। सीवर लाइन के लिए प्रस्ताव गया है। स्वीकृत होने पर गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई काम कराएगा। जगह हो गई है तो सीवर लाइन पड़ेगी।

सवाल: बच्चों के खेलने के लिए कालोनी पार्क नहीं है। श्रीपीठ स्कूल के पास खाली भूखंड है। जिस पर लोग कब्जा कर रहे हैं। पार्क की व्यवस्था कैसे होगी।

-चंदन श्रीवास्तव, कल्याणी देवी, राजापुर, विकासी

जवाब: हम इसे दिखवाते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय में पत्र देकर अवगत कराएं। भूमि लेकर कब्जा खाली कराया जाएगा।

सवाल: बेनीगंज में इलाहाबाद डिग्री कालेज से गंगा देवी वाले रोड की मरम्मत कब तक होगी। जानसेनगंज चौराहा से लेकर साउथ मलाका सब्जी मंडी तक हीवेट रोड धसता है। धूल से मुश्किल है। पहलवान चौराहा से सोरांव मार्केट जाने वाली रोड खराब है। घनघोरा के पास सड़क बनवाया है।

-आशा पांडेय कदा, बेनीगंज, बेगम, दाताराम मिश्र कालोनी, वेंकटेश, डिक्टरी, हीवेट रोड,

जवाब: यह रोड पैचिंग में शामिल है। बारिश के बाद काम शुरू होगा। हीवेट रोड पीडब्ल्यूडी की है। वहां सूचना दी गई है। नगर निगम से पैचिंग कराई जाएगी। पहलवान चौराहा से एक तरफ की रोड पास हो गई है। दूसरी तरफ के लिए आवेदन दे दें, उसे चेक करवाता हूं।

सवाल: स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए गृहकर और जलकर माफ करने की क्या प्रक्रिया है।

-विष्णु दत्त मिश्र, कालिंदीपुरम

जवाब: उस समय तक पत्र मिला उनके नाम मकान होगा। कागज लेकर आ जाएं, उसे करवा देंगे।

सीवर लाइन से जुड़े अहम सवाल

सवाल: भोला नाथी की गली के पास करीब 50 परिवार रहते हैं। यहां सीवर लाइन नहीं पड़ी है। दो बार इंजीनियर सर्वे करने आए। लेकिन, लाइन नहीं मिलने की बात कही जा रही है।

-लाखन सिंह राजपूत, राजापुर

जवाब: सीवर लाइन की समस्या का भी समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। टीम भेजकर पहले कब्जा मुक्त भी कराया जाएगा।

सवाल: इंटरलाकिंग न होने से दिक्कत होती है। इसके लिए मोहल्ले के लोगों ने भी कई बार पत्र भेजा है। समाधान कराएं।

-किशन शर्मा, ओमप्रकाश नगर

जवाब: टीम भेजकर रिपोर्ट मंगाई जाएगी।

सवाल: वाटर टैक्स बढ़कर आया है। जलकर अधिक आ रहा है।

-गणेश श्रीवास्तव, नूरुल्ला, नवीद शुक्ला, अल्लापुर

जवाब: मूल्यांकन के आधार पर टैक्स भेजा गया है। फिर भी प्रार्थना पत्र कार्यालय में भेजें, जांच कराई जाएगी।

सवाल: निगम का सीमा विस्तार किया गया। लेकिन, सफाई व्यवस्था बेहतर हो रही है। जबकि यहां के लोग टैक्स देते हैं।

-महेश प्रसाद प्रजापति, अरैल, झूंसी

जवाब: निगम के विस्तार के बाद बजट आने पर समाधान कराया जाएगा।

सवाल: अतिक्रमण की समस्या है। फुटपाथ से लेकर सड़क तक उसका कब्जा हो जाता है। नगर निगम का दस्ता आता है तो थोड़ा हटा दिया जाता है। फिर स्थिति जस की तस हो जाती है।

-रवि, शाही, अल्लापुर

जवाब: समस्या का निराकरण कराया जाएगा।

सवाल: गली कच्ची है। सफाई नहीं होने से कीचड़ रहता है।

-पीयूष, दुलापुर

जवाब: निगम में पत्र भेजकर समस्या बताएं।

पानी की समस्या से जुड़े अहम सवाल

सवाल: कच्ची सड़क बड़ी खाली के पास सुबह दस से आठ बजे तक पानी सप्लाई रहता है। इसके पानी की समस्या है। इसे दो घंटे और बढ़ाया जाए। घाटों के पास सड़क भी खराब है। गोकुल पार्क में पानी कम आता है। कब तक समाधान कराया जाएगा।

-पूजा अग्रवाल, पार्षद, राज श्रीवास्तव, दारागंज, राहुल अग्रवाल कृष्णा, साक्षिगुप्त कुशवाहा, अल्लापुर

जवाब: इसे चेक करवाकर ठीक कराया जाएगा। हाल ही में क्षतिग्रस्त पाइप ठीक कराई गई है। फिर भी कर्मचारी भेजकर समाधान कराया जाएगा। गोकुल पार्क में एक नलकूप में दूसरा नलकूप लग जाएगा। पानी की समस्या के लिए टीम भेजकर चेक कराया जाएगा।

सवाल: भरत सिंह व सुखदेव की प्रतिमा लगवाने के लिए कमिश्नर कार्यालय में पत्र भेजा गया था। कब तक कार्यवाही होगी।

-करन सिंह परिहार, गोविंदपुर

जवाब: अब सार्वजनिक स्थान पर प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। निजी भूमि हो तो विवरण भेजें, जरूर कार्यवाही होगी।

सवाल: ट्रॉपिक रोड पर महाविद्यालय के बगल में नाली चोक है। कई बार शिकायत की गई। लेकिन, निस्तारण नहीं हुआ। सफाई व्यवस्था बेकार हो रही है। मोहल्ले में गंदगी से परेशानी हो रही है।

-दिनेश सिंह, बैरहना, कीडगंज-रेखा पटेल, अशोक नगर

जवाब: एक-दो दिन में समस्या का निराकरण करा दिया जाएगा। सफाई भी कराई जाएगी।

सवाल: मेरे घर के सामने सार्वजनिक रोड पर गेट लगा दिया गया है। इससे दूसरे गेट से निकलना बंद हो गया है। आवेदन दिया लेकिन, कुछ नहीं हुआ। सड़क बन नहीं रही, बहुत गंदगी रहती है। घर से निकलना मुश्किल है।

-कालूराम पाल, ओम गायत्री नगर, उमा स्नातक, ओम गायत्री नगर

जवाब: मैं इसे दिखवाती हूं। रोड के लिए आवेदन निगम में दे दें। नापजोख करवाया जाएगा।

एजेंसी के खिलाफ होगी कार्रवाई

जासं, प्रयागराज: डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन (डीटीडीसी) करने वाली एजेंसी को नगर निगम द्वारा दी गई कूड़ा गाड़ियां एवं अन्य संसाधनों की मौजूदा स्थिति का आकलन अफसरों द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रयागराज एसडब्ल्यूएम सालिडवेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के हट्टी बंधन (कांशी) स्थित वर्कशाप को निगम द्वारा फिर से हैंडओवर करने की तैयारी हो रही है। संभव है कि एजेंसी प्रबंधन को एक-दो दिनों में बुलाया भी जाए। निगम प्रशासन द्वारा एजेंसी को अंतिम नोटिस जारी करने के बाद करार खत्म करने की पुष्टि महापौर कर चुकी हैं। बुधवार को एजेंसी द्वारा सामान भी समेट लिया गया था। अफसरों द्वारा कूड़ा गाड़ियों का सत्यापन कराया जा रहा है कि कहीं उसके पार्ट्स आदि को नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया है।

36 दिन, 733 शिकायतें और 698 का निस्तारण

जासं, प्रयागराज : पुलिस द्वारा शुरू की गई जनसुनवाई आपके द्वार सेवा के तहत ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 36 दिन में 733 शिकायतें आईं। इनमें 698 शिकायतों का निस्तारण किया गया। अधिकांश शिकायतें ग्रामीण इलाके की रहीं, जिनमें रास्ता बाधित करना, नाली पर कब्जा, दबंगों द्वारा खेत को अवरुद्ध करना, मारपीट के मामले में रिपोर्ट दर्ज न करना आदि से संबंधित रहीं। एसपी गंगापार अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि जनसुनवाई आपके द्वार कार्यक्रम 27 जुलाई से चल रहा है। दो सितंबर तक आई शिकायतों में अधिकांश का निस्तारण कर दिया गया है। जो शिकायतें शेष हैं, उसके समाधान के लिए संबंधित थाने के प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई आपके द्वार कार्यक्रम प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से दो बजे तक आयोजित किया जाता है। शिकायत सुनने के बाद तत्काल संबंधित थाना प्रभारियों को इसके निस्तारण के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

दुष्कर्म पीड़िता ने दारोगा पर लगाया धमकी देने का आरोप

जासं, प्रयागराज : सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ने फाफामऊ थाने में तैनात एक दारोगा पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत भी उसने पुलिस अधिकारियों से की है। सोरांव थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने जून 2021 में ओम नारायण, राम नारायण, प्रेम नारायण, फूलकली, उर्मिला व दिवाकर के खिलाफ गाली-गलौज, धमकी और सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का यह भी आरोप है कि अब तक इस मामले में एक भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि उसका मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी हो चुका है। फाफामऊ थाने में तैनात दारोगा उसे धमका रहे हैं कि मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे। उधर, आरोपित भी खुलेआम यह कहता फिर रहा है कि उसने दरोगा को दो लाख रुपये दिए हैं और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है।

साइबर सेल ने वापस कराए 75 हजार

प्रयागराज : मऊआइमा निवासी अनुराग मौर्य के खाते से धोखाधड़ी कर उड़ाए गए 75 हजार रुपये को साइबर सेल ने वापस करवा दिया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि साइबर अपराधी ने उनके मोबाइल में कोई लिंक एप डाउनलोड करवाया और फिर दो बार में 75 हजार रुपये ट्रांजेक्शन कर लिया। शिकायत मिलने पर साइबर सेल के सिपाही सचिन यादव ने जांच शुरू की और फिर बैंक से संपर्क करके पीड़ित का पैसा उसके खाते में वापस करवा दिया।

गंगा एक्सप्रेस वे के लिए ली जा चुकी 97 फीसद जमीन

जासं, प्रयागराज : गंगा एक्सप्रेस वे 12 जिलों को जोड़ते हुए प्रयागराज आएगा। इसके रास्ते में 519 गांव पड़ रहे हैं और यह छह लेन बनाया जाएगा। प्रयागराज में सोरांव तहसील के 20 गांवों से होकर यह गुजरेगा। इन गांवों की 184 हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीदने के लिए जिला प्रशासन कालपत्र से काम कर रहा है। यह नया मार्ग है और पूरी तरह से जमीन खरीदनी पड़ रही है। जिला प्रशासन इसके लिए करीब चार माह से किसानों से जमीन खरीदकर उसे यूपीडा के नाम रजिस्ट्री कर रहा है। इसका निर्माण यूपीडा करवाएगा। किसानों से जमीन लेने का क्रम 15 जुलाई तक पूरा करना था। लेकिन कुछ विवादित जमीनों के कारण अभी तक सभी को मुआवजा नहीं मिला है। विवादित जमीनों को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान का नोटिस दिया था। कई किसान भी मुआवजा लेने आ रहे हैं। इस तरह अब तक 97 फीसद किसानों ने जमीनों का मुआवजा ले लिया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व एमपी सिंह ने बताया कि किसानों ने सहमति बनाकर उनकी जमीनें खरीदे गए के हिसाब से ली गई हैं। कुछ किसानों की जमीन विवादित हैं, इसलिए उनका मुआवजा देना बाकी है। जल्द ही उनका मामला भी सुलझा दिया जाएगा। जमीनों का काम लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही इसकी बाकी की प्रक्रिया पूरा होगी।

कवायद

- मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी लंबा होगा एक्सप्रेसवे
- सोरांव तहसील के 20 गांवों की ली गई जमीनें

तालाबों का किया जाएगा पुनरुद्धार

जासं, प्रयागराज : जिला स्तरीय जल संरक्षण समिति की बैठक में जिले के तालाबों के पुनरुद्धार व जीर्णोद्धार कराने के निर्देश दिए गए। जिले के तालाबों और पोखरों के पुनरुद्धार की कार्ययोजना तैयार कराने के लिए कहा गया। समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई।

दैनिक जागरण EDUCATION PLUS A Solution for Growing Advertisers

सर्वेश्वरी पी.जी. कॉलेज
ONLINE ADMISSION www.sarvidyalaya.com
प्रवेश प्रारम्भ
बी.एस.सी., बी.ए. बी.कॉम., एम.ए., एम.कॉम.,
(NSS, NCC) UPRTOU
छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा
9140378932, 7398760422, 9919975935

प्रवेश प्रारम्भ सत्र 2021-22
के.पी.उच्च शिक्षा संस्थान
झलवा, प्रयागराज
For Online Admission Visit
B.Sc. Agriculture
B.A / B.Sc. / B.Com. / M.A / M.Sc. / M.Com.
B.Ed./ D.El.Ed/ B.Lib/ B.C.A./ B.B.A.
B.Sc (Computer Science)
9415660244 / 7755946484 / 9648450157 / 9452642107

RADHA RAMAN MISHRA GROUP OF INSTITUTION
संबंधित पाठ्यक्रम
B.A B.Sc B.Com B.C.A LL.B
B.Ed. D.El.Ed
M.A.
M.Sc.
8604189877, 9651967896

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

आरओ सार्व, इलाहाबाद
11-ए/4, नसीबपुर, बख्तियारा, अशोक नगर, इलाहाबाद
ई-मेल: sarall@bankofbaroda.co.in

चल/अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए बिक्री सूचना
"परिशिष्ट- IV-A [नियम 6 (2) एवं 8 (6) के प्रावधान को देखें]
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 (2) एवं 8 (6) के प्रावधान के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण एवं ऋणी तथा जमानतकर्ता को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित चल/अचल सम्पत्ति/ बंधक/प्रभारयुक्त सम्पत्ति को, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया गया है को बैंक के निम्नलिखित खाते के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा "जो है जहाँ है, जो है जैसे है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। ऋणी/ जमानतकर्ता/ प्रतिभूति आस्ति/देय/ आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (इएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है-

ई- नीलामी की तिथि एवं समय : 23.09.2021, 02:00 PM से 06:00 PM | ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय- 22.09.2021, 10:00 AM से 4:00 PM

धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान ऑनलाइन एनईएफटी/ट्रांस्फर (चलान निष्पादन के बाद) (https://www.mstcecommerce.com) के द्वारा बोलीदाताओं के ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में किया जाएगा।

क्र0 सं0	ऋणियों/ जमानतकर्ताओं का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण ज्ञात भारों के साथ, यदि कोई हो	कुल बकाया राशि	सम्पत्ति निरीक्षण /ईएमडी जमा करने के लिए तिथि एवं समय	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/ बिड बढ़ोत्तरी राशि
1.	ऋणी- (1)- मैसर्स संजय कोल डिपोट, पता 169/5 जी मधुबन विहार, शिवाला न्यू मार्केट, बमरौली, इलाहाबाद, पिन- 211001 (2)- श्री संजय कुमार रॉय पुत्र श्री शिवजी रॉय, (प्रोपराइटर:- मैसर्स संजय कोल डिपो), पता 169/5 जी मधुबन विहार, शिवाला न्यू मार्केट, बमरौली, इलाहाबाद, पिन- 211001 जमानतकर्ता:- श्रीमती मोनू कुमारी पत्नी श्री संजय कुमार रॉय, पता: 169/5 जी मधुबन विहार, शिवाला न्यू मार्केट, बमरौली, इलाहाबाद पिन- 211001.	सम्यक बंधक सम्पत्ति भूमि एवं भवन जो कि आराजी सं0 150 (क्षेत्रफल- 168 वर्गमीटर) के भाग पर स्थित है एवं मौजा- मोहम्मदपुर, तालुका- इब्राहिमपुर, परगना एवं तहसील- सदर, जिला- इलाहाबाद में श्री संजय कुमार रॉय पुत्र शिवजी रॉय के नाम से स्थित है। सेल डीड के अनुसार चौहद्दी:- उत्तर- प्रस्तावित 18 फिट रोड, दक्षिण- प्लाट का शेष भाग, पूरब- श्री एस.पी. सिंह का प्लाट, पश्चिम- श्री डी.टी. सिंह का प्लाट। कब्जा की स्थिति:- सांकेतिक	₹ 13,91,835/- + ब्याज रिवर्सल + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.01.2011 से प्रभावी (-) दिनांक 15.11.2019 के बाद जमा की गयी धनराशि, यदि कोई हो।	02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM / 02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM	₹24,05,700/- (आरक्षित मूल्य) ₹2,40,570/- (अग्रिम धनराशि) ₹10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)
2.	ऋणी : (1) श्रीमती मीनाक्षी सिंह पत्नी श्री अजीत कुमार सिंह पता 349/2एम/1एम, चांदपुर सलोरी, तेलियरगंज, जिला- इलाहाबाद, पिन- 211004. (2) श्री अजीत कुमार सिंह पुत्र स्व. नेबूलाल सिंह, ग्राम खानपुर, पोस्ट- मेजा रोड, तहसील- मेजा, जिला- इलाहाबाद उ.प्र. 212303.	प्लाट संख्या 308 मिन पर स्थित फ्रीहोल्ड भूमि एवं मकान, क्षेत्रफल 0.013 हेक्टेयर जो कि ग्राम खानपुर, टप्पा-84, तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद में श्रीमती मीनाक्षी सिंह पत्नी श्री अजीत कुमार सिंह के नाम से स्थित है। चौहद्दी: उत्तर : अजीत कुमार सिंह का प्लाट। दक्षिण : ग्राम सभा एवं अन्य का प्लाट। पूरब: ग्राम सभा की भूमि। पश्चिम : बेनीमाधव एवं अन्य का प्लाट। कब्जा की स्थिति:- सांकेतिक	₹ 14,50,000/- + ब्याज रिवर्सल + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 30.04.2016 से प्रभावी (29.04.2016 तक ब्याज सम्मिलित) (-) दिनांक 03.06.2016 के बाद जमा की गयी धनराशि, यदि कोई हो।	02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM / 02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM	₹4,36,800/- (आरक्षित मूल्य) ₹43,680/- (अग्रिम धनराशि) ₹10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)
3.	ऋणी- (1)- मैसर्स त्रिलोक राइस मिल (प्रोपराइटर श्री तारकेश्वर नाथ मिश्रा), पता: ग्राम- कनेवरा, पोस्ट- नहवाई, तहसील- मेजा, जिला- इलाहाबाद, (2)- श्री तारकेश्वर नाथ मिश्रा पुत्र आत्मदेव मिश्रा, (प्रोपराइटर- मैसर्स त्रिलोक राइस मिल), पता: ग्राम- कनेवरा, पोस्ट- नहवाई, तहसील- मेजा, जिला- इलाहाबाद, जमानतकर्ता:- (1)- श्री आत्मा देव मिश्रा पुत्र राम हिंद मिश्रा, पता:- ग्राम- कनेवरा, पोस्ट- नहवाई, तहसील- मेजा, ब्लाक- माण्डा, जिला- इलाहाबाद, (2)- श्री उमेश चन्द्र द्विवेदी पुत्र शोभनाथ द्विवेदी, पता- ग्राम- खुर्मा, पोस्ट- टीकेनपुरवा, ब्लाक- माण्डा, जिला- इलाहाबाद।	सम्यक बंधक सम्पत्ति खाता सं0- 003, आराजी सं0- 63एम जो कि मौजा- कनेवरा, परगना-खैरागढ़, तहसील- मेजा, जिला- इलाहाबाद में श्री आत्मदेव मिश्रा के नाम से स्थित है। पैमाईश क्षेत्रफल- 655.00 वर्गमीटर, चौहद्दी:- उत्तर- माया की कृषि भूमि, दक्षिण- सड़क, पूरब- शिव सोनकर का मकान, पश्चिम- शिव पटेल का मकान। कब्जा की स्थिति:- सांकेतिक	₹32,93,951.00 + ब्याज प्रभार एवं अन्य खर्चे दिनांक- 01.08.2015 से प्रभावी, (31.07.2015 तक का ब्याज सम्मिलित) (-) 17.08.2015 के बाद जमा की गई धनराशि, यदि कोई हो।	02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM / 02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM	₹ 18,15,750/- (आरक्षित मूल्य) ₹ 1,81,575/- (अग्रिम धनराशि) ₹10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)
4.	ऋणी- मैसर्स लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन, प्रोपराइटर- राकेश कुमार यादव पुत्र स्व0 लाल बहादुर यादव, फर्म का पता:- बिछा, अरैल, करछना, इलाहाबाद- 212307. (2)- श्री राकेश कुमार यादव पुत्र स्व0 लाल बहादुर यादव, (प्रोपराइटर) मैसर्स लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन आवासीय पता:- मकान सं0- 62, त्रिवेणी नगर, नैनी, इलाहाबाद, पिन- 211008. जमानतकर्ता:- (1)- श्री अवधनी कुमार पुत्र राम बहादुर मिश्रा, पता:- अरहिया खीरा, करछना, इलाहाबाद- 212307. (2)- श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी राकेश कुमार यादव, पता:- मकान सं0- 62, त्रिवेणी नगर, इलाहाबाद- 211008.	(1)- भूमि एवं भवन आराजी सं0- 62मी का भाग जो कि मोहल्ला- नकवीनिया, परगना- अरैल, तहसील- करछना, जिला- इलाहाबाद में श्री राकेश कुमार यादव पुत्र स्व0 लाल बहादुर यादव के नाम से स्थित है। क्षेत्रफल- 48.53 वर्गमीटर, चौहद्दी:- उत्तर- लक्ष्मण सिंह इत्यादि का प्लाट, दक्षिण- 10 फिट चौड़ा कच्चा रास्ता, पूरब- लक्ष्मी देवी का मकान, पश्चिम- सूर्य प्रकाश का प्लाट। (2)- भूमि एवं भवन आराजी सं0- 62मी का भाग जो कि मोहल्ला- नकवीनिया, परगना- अरैल, तहसील- करछना, जिला- इलाहाबाद में श्री राकेश कुमार यादव पुत्र स्व0 लाल बहादुर यादव के नाम से स्थित है। क्षेत्रफल- 48.53 वर्गमीटर, चौहद्दी:- उत्तर- लक्ष्मण सिंह इत्यादि का प्लाट, दक्षिण- 10 फिट चौड़ा कच्चा रास्ता, पूरब- शिवेन्द्र का प्लाट, पश्चिम- सावित्री देवी का प्लाट। कब्जा की स्थिति:- सांकेतिक	₹69,35,406.50 + देय ब्याज + ब्याज रिवर्सल एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.06.2020 के बाद जमा की गई धनराशि, यदि कोई हो।	02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM / 02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM	सम्पत्ति सं0- 1 एवं 2 के लिए ₹23,00,000/- (आरक्षित मूल्य) ₹2,30,000/- (अग्रिम धनराशि) ₹10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)
5.	ऋणी- श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री राजेश कुमार सिंह, पता: ग्राम एवं पोस्ट- धोखा, हंडिया, इलाहाबाद।	सम्यक बंधक सम्पत्ति जो कि आराजी सं0- 640 के भाग पर निर्मित भूमि एवं भवन मौजा- धोखा, परगना- केवई, तह- जिला हंडिया एवं जिला इलाहाबाद में श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री राजेश कुमार सिंह के नाम से पंजीकृत है। क्षेत्रफल- 0.114 हेक्टेयर जिसमें से खरीदा गया क्षेत्रफल- 0.029 हेक्टेयर है। सेल डीड के अनुसार चौहद्दी:- उत्तर- श्री जोखन सिंह का मकान, दक्षिण- श्री राम पाल सिंह की भूमि, पूरब- श्री चिंतामणि सिंह का मकान, पश्चिम- श्री बच्चन सिंह की भूमि। कब्जा की स्थिति:- सांकेतिक	₹ 24,64,565.36 + ब्याज रिवर्सल + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक- 31.10.2015 से प्रभावी (-) दिनांक 10.11.2015 के बाद जमा की गई धनराशि यदि कोई हो।	02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM / 02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM	₹2,81,000/- (आरक्षित मूल्य) ₹28,100/- (अग्रिम धनराशि) ₹10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)
6.	ऋणी- (1)- मैसर्स माँ विंध्यवासिनी बिल्डिंग मेटेरियल्स स्टोर, प्रोपराइटर- श्री राजेश कुमार सिंह, पता- ग्राम एवं पोस्ट- धोखा, बरौत, हंडिया, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। (2)- श्री राजेश कुमार सिंह (प्रोपराइटर मैसर्स माँ विंध्यवासिनी बिल्डिंग मेटेरियल्स स्टोर) पता- ग्राम एवं पोस्ट- धोखा, बरौत, हंडिया, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। जमानतकर्ता:- (1)- श्री चिंतामणि सिंह पुत्र स्व0 राम लखन सिंह पता- ग्राम एवं पोस्ट- धोखा, बरौत, हंडिया, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। (2)- श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री राजेश कुमार सिंह पता- ग्राम एवं पोस्ट- धोखा, बरौत, हंडिया, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। (3)- श्री रविन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री कमला शंकर सिंह पता- ग्राम एवं पोस्ट- धोखा, बरौत, हंडिया, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।	सम्यक बंधक सम्पत्ति जो कि आराजी सं0- 483 के भाग पर निर्मित भूमि एवं भवन मौजा- धोखा, परगना- केवई, तह- जिला हंडिया एवं जिला इलाहाबाद में श्री राजेश सिंह पुत्र श्री चिंतामणि सिंह के नाम से पंजीकृत है। कुल क्षेत्रफल- 0.052 हेक्टेयर। सेल डीड के अनुसार चौहद्दी:- उत्तर- खड़ंजा रास्ता, दक्षिण- राम नरेश सिंह की भूमि, पूरब- हीरा लाल का मकान, पश्चिम- पवन सिंह एवं रतन सिंह का मकान। कब्जा की स्थिति:- सांकेतिक	₹ 31,65,455 + ब्याज रिवर्सल + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक- 30.09.2015 से प्रभावी (-) दिनांक 07.10.2015 के बाद जमा की गई धनराशि यदि कोई हो।	02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM / 02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM	₹16,78,000/- (आरक्षित मूल्य) ₹1,67,800/- (अग्रिम धनराशि) ₹10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)
7.	ऋणी : (1) श्री जैनुल आबदीन, मकान नं0 3के/3सी/1, प्रकाश पुरम, करेली इलाहाबाद (2) श्री जैनुल आबदीन, 75/97, नूरुल्ला रोड, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश- 211016. (3) श्री जैनुल आबदीन, ग्राम कादिलपुर, तालुका- आदमपुर, परगना एवं तहसील- सदर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211016.	सरल पंजीकृत बंधक सम्पत्ति भूमि एवं भवन जोकि प्लाट नं. 226, क्षेत्रफल 0.497 हेक्टेयर ग्राम कादिल पुर, तालुका- आदमपुर, परगना एवं तहसील- सदर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जैनुल आबदीन के नाम से स्थित है। चौहद्दी: उत्तर: राम सिंह की भूमि, दक्षिण: नन्हकी की भूमि, पूरब: सुनिता देवी की भूमि, पश्चिम: असीमुल्ला सिंह की भूमि। कब्जा की स्थिति:- सांकेतिक	₹ 21,74,398.05 + ब्याज प्रभार एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.07.2014 से प्रभावी (30-06-2014 तक ब्याज सम्मिलित) (-) दिनांक 31.07.2014 से जमा की गई धनराशि यदि कोई हो।	02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM / 02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM	₹ 45,15,000/- (आरक्षित मूल्य) ₹ 4,51,500/- (अग्रिम धनराशि) ₹ 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)
8.	ऋणी: (1) श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी श्री राजेश कुमार सिंह, पता:- मकान नं.- 6, फैज लाइन, ओल्ड कैंट, दरियाबाद, इलाहाबाद पिन- 211004. (2) श्री राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 कुन्ज किशोर सिंह, पता:- मकान नं.- 6, फैज लाइन, ओल्ड कैंट, दरियाबाद, इलाहाबाद पिन- 211004.	सम्यक बंधक सम्पत्ति भूमि एवं भवन जो कि आराजी नं.- 154 एमआई, अम्बा- 254/492/2ए, शुतुर खाना, मौजा- सादियाबाद, इलाहाबाद में श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी श्री राजेश सिंह के नाम से स्थित है। पैमाइश क्षेत्रफल- 271.47 वर्गमीटर, सेल डीड के अनुसार चौहद्दी: उत्तर: श्री मिश्रा जी का मकान, दक्षिण: श्रीमती विमला श्रीवास्तव का मकान, पूरब: रास्ता, पश्चिम : श्री राम कृष्ण श्रीवास्तव का मकान। कब्जा की स्थिति:- सांकेतिक	₹ 6,05,304.11 + देय ब्याज + ब्याज रिवर्सल एवं अन्य खर्चे दिनांक 22.07.2016 से प्रभावी (-) दिनांक 06.08.2018 के बाद जमा की गयी धनराशि, यदि कोई हो।	02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM / 02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM	₹55,90,000/- (आरक्षित मूल्य) ₹5,59,000/- (अग्रिम धनराशि) ₹10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)
9.	ऋणी:- श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र मेवा लाल यादव, पता: मकान नं0- 207, मुंगारी, रामपुर, तहसील- करछना, जिला- इलाहाबाद- 212303. सह-ऋणी:- श्रीमती रंजना यादव पत्नी राजेन्द्र प्रसाद यादव, पता: मकान नं0- 207, मुंगारी, रामपुर, तहसील- करछना, जिला- इलाहाबाद- 212303.	(1)- आराजी सं0- 2126 ख का शेष भाग, ग्राम- मुंगारी, परगना- अरैल, तहसील- करछना, जिला- इलाहाबाद में श्रीमती रंजना यादव पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव के नाम से स्थित है। क्षेत्रफल- 230.00 वर्गमीटर। चौहद्दी (सेल डीड के अनुसार):- पूरब- लोरिक की भूमि, पश्चिम- आराजी सं0- 2126 क का भाग, उत्तर- अमर चन्द्र के नाम से आराजी सं0- 2126 क का भाग, दक्षिण- मिर्जापुर रोड। (2)- सभी सम्पत्ति भूमि एवं भवन का भाग जो कि भूखण्ड सं0- ए.एल.-50, सेक्टर-ए, फेज-II, नैनी आवास योजना, परगना- अरैल, तहसील- करछना, जिला- इलाहाबाद में श्रीमती रंजना यादव पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव के नाम से स्थित है। क्षेत्रफल- 60.00 वर्गमीटर। चौहद्दी (सेल डीड के अनुसार):- पूरब- ईडब्ल्यूएस भूखण्ड सं0- ए- 1/32, पश्चिम- 12 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर- एडीए की खुली भूमि, दक्षिण- भूखण्ड सं0- ए.एल. 49. कब्जा की स्थिति:- सांकेतिक	₹42,73,233.00 + ब्याज रिवर्सल + देय ब्याज दिनांक- 31.05.2020 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे एनपीए दिनांक 29.06.2019 से प्रभावी, (-) दिनांक 15.10.2020 के बाद जमा की गई धनराशि, यदि कोई हो।	02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM / 02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM	₹47,14,000/- (आरक्षित मूल्य) ₹4,71,400/- (अग्रिम धनराशि) ₹10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि) ₹33,55,000 (आरक्षित मूल्य) ₹3,35,500/- (अग्रिम धनराशि) ₹10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)
10.	ऋणी- (1)- मैसर्स हर्षिता इंटरप्राइजेज (प्रोपराइटर- श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र मेवा लाल यादव) पता: मकान नं0- 207, मुंगारी, रामपुर, तहसील- करछना, जिला- इलाहाबाद- 212303. (2)- श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र मेवा लाल यादव (प्रोपराइटर मैसर्स हर्षिता इंटरप्राइजेज) पता: मकान नं0- 207, मुंगारी, रामपुर, तहसील- करछना, जिला- इलाहाबाद- 212303. जमानतकर्ता:- (1)- श्रीमती रंजना यादव पत्नी राजेन्द्र प्रसाद यादव, पता:- मुंगारी, रामपुर, तहसील- करछना, जिला- इलाहाबाद- 212303. (2)- श्री अजय कुमार तिवारी पुत्र मूल चन्द तिवारी, पता:- ग्राम- मनइया, मुंगारी, परगना- अरैल, तहसील- करछना, जिला- इलाहाबाद- 212303.	(1)- स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स का दृष्टिबंधक। (2)- सभी सम्पत्ति एवं उसका भाग जो कि खुली भूमि (आवासीय प्लाट) आराजी सं0- 144मी. एवं 377 म जो कि ग्राम- समरिया, परगना- अरैल, तहसील- करछना, इलाहाबाद में श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मेवा लाल के नाम से स्थित है। क्षेत्रफल- 364.80 वर्गमीटर। चौहद्दी:- पूरब- सड़क, पश्चिम- नाला, उत्तर- शैलेन्द्र प्रताप सिंह की भूमि, दक्षिण- सहनाज बानो की भूमि।	₹31,20,476.00 + ब्याज रिवर्सल + देय ब्याज दिनांक- 01.06.2020 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे एनपीए दिनांक 27.04.2019 से प्रभावी, (-) दिनांक 15.10.2020 के बाद जमा की गई धनराशि, यदि कोई हो।	02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM / 02.09.2021 से 22.09.2021 समय 10:00 AM से 4:00 PM	₹8,83,000/- (आरक्षित मूल्य) ₹88,300/- (अग्रिम धनराशि) ₹10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)

बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट का अवलोकन करें- www.Bankofbaroda.in/e-auction.htm & https://ibapi.in. इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल नं0- 9554956629 से सम्पर्क करें।

दिनांक : 02.09.2021 स्थान: प्रयागराज प्राधिकृत अधिकारी, आरओ. सार्व, बैंक ऑफ बड़ौदा